


09.10.2024

बिधिवन्तता का। उपरी-प्रतः। अन्य तन्त्रों के
सापेक्षित प्रकरणों में निर्णय होने पर
पत्रिका में सापेक्षित करी' हो-कारणः
पत्रिका दिनांक 10.10.2024 को सापेक्षित
हु-पत्रा-है।



अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शंखावाटी (सीकर) राज.